समाहरणालय, दरभंगा

(जिला स्थापना शाखा)

–: आदेश :–

मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–671, दिनांक–26.06.2015 के आलोक में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई के पश्चात् लगायी गयी पेनाल्टी राशि की वसूली करने हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारियों/वरीय उप समाहर्त्ताओं को मेन्टर नियुक्त किया गया था। पूर्व निर्गत आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिरोपित पेनाल्टी की वसूली हेतु निम्न प्रकार मेन्टर तथा प्रखंड का वरीय प्रभारी पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है :–

क्र0	वरीय उप समाहर्त्ता का नाम/पदनाम	आवंटित प्रखंड/अंचल
1	2	3
1	श्री बालाकान्त पाठक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा	दरभंगा
2	श्री शंकर शरण ओमी, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा	बहादुरपुर
3	श्री विकास कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा	हायाघाट
4	श्री नरेश झा, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा	बहेड़ी
5	श्री शेख जियाउल हसन, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा	हनुमाननगर
6	श्री रमेश चन्द्र चौधरी, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा	सिंहवाड़ा
7	श्री प्रिय रंजन राजू, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा	केवटी
8	श्री समीर कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा	जाले
9	श्री राम बाबू कुमार, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, दरभंगा	मनीगाछी
10	श्री अरूण कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा	तारडीह
11	श्री मो0 अतहर, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर	अलीनगर
12	श्री अमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर	बेनीपुर
13	श्री शैलेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेनीपुर	घनश्यामपुर
14	श्री कमलेश कुमार वर्मा, जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा	गौड़ा बौराम
15	श्री पी0एन0 झा, परियोजना निदेशक, आत्मा, दरभंगा	बिरौल
16	श्री रजनीकान्त प्रवीण, डी0पी0ओ0, सर्व शिक्षा, दरभंगा	किरतपुर
17	श्री मो0 सफीक, अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल	कुशेश्वरस्थान
18	श्री नीरज नयन, श्रम अधीक्षक, दरभंगा	कुशेश्वरस्थान पूर्वी

उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे प्रत्येक शनिवार को प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित होकर प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे एवं समीक्षा प्रतिवेदन उसी दिन संध्या तक जिला गोपनीय शाखा, दरभंगा में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त सेवाओं तथा प्रखंड/अंचलों के कार्यों का अनुश्रवण एवं प्रखंड/अंचल का समीक्षात्मक बैठक करेंगे एवं आर0टी0पी0एस0 काउन्टरों का निरीक्षण एवं लंबित/कालबाधित आवेदनों के कारणों की समीक्षा कर कार्यों में बरती गयी शिथिलता, लापरवाही बरतने वाले नाम निर्दिष्ट लोक सेवकों को चिन्हित कर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव मन्तव्य अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे। साथ ही नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई के पश्चात् लगायी गयी पेनाल्टी की वसूली करवाना सुनिश्चित करेंगे। उसी भांति बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का भी समीक्षा करते हुए समय–सीमा के भीतर इसका निवारण करवाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे तथा इसमें किसी तरह की लापरवाही होने पर संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदन देगें।

ह0/–

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक–44–133/2015– 206 /स्था0, लहेरियासराय, दिनांक 09 वीं फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

09.02.17

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

BIRENDRA